UPAU010040972025

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, औरैया।

पीठासीन अधिकारी– कैलाश कुमार (एच 0 जे0 एस 0) UP 1684

दण्ड अपील संख्या–42/2025

01–शिवकान्त तिवारी बालिग पुत्र स्व० श्याम किशुन तिवारी निवासी ग्राम व पोस्ट–किशौरा, थाना–मंगलपुर कानपुर देहात हाल पता सरस्वती शारदा विद्यालय झींझक, थाना–मंगलपुर, जिला–कानपुर देहात।

.....अपीलार्थी।

बनाम

01– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल जनपद औरैया।

02–श्रीमती साधना तिवारी पत्नी शिवकान्त तिवारी पुत्री हृदय नारायन द्विवेदी निवासी ग्राम–अरियारी, पोस्ट–अघारा, थाना–सहायल, जिला–औरैया।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त दण्ड अपील न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ एफ०टी०सी०, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 202/2022, थाना सहायल, जिला औरैया, श्रीमती साधना तिवारी बनाम शिवकान्त तिवारी आदि, अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में दौरान कार्यवाही प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2024, जिसमें प्रत्यर्थी/अपीलार्थी शिवकान्त तिवारी को आदेशित किया गया कि वह व्यथित व्यक्ति साधना तिवारी को अन्तिरम भरण पोषण के रूप में 7,000/– प्रतिमाह प्रत्येक माह की दस तारीख तक अदा करेगा, से झुब्ध होकर प्रस्तुत की है।

2. अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि आलौच्य आदेश के तहत अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्तरिम भरण–पोषण धनराशि मु० 7000/– रू० प्रतिमाह महज प्रत्यर्थी / परिवादिनी के द्वारा धारा–23 डी०वी०एक्ट के तहत दिये गये प्रार्थनापत्र मे किये गये कथनों पर आधारित है। परिवादिनी के द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कथनों के समर्थन मे कोई भी साक्ष्य/ प्रमाण प्रस्तुत नही की गई है।अवर न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश में

Digitally signed by KAILASH KUMAR
Date: 2026.07.29 15:32:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 25–10–24 में किये गये इस सत्य कथन पर कतई विचार नही किया गया कि कृषि कार्य एवं मजदूरी कर अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता है तथा विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी पर दाखिल किये गये मुकदमें व अन्य खर्च स्वयं उठाता है। अपीलार्थी/प्रार्थी चीनी मिल मे नौकरी भी करता था लड़ाई–झगड़े एवं मुकदमे के कारण छूट गई जिसको विपक्षी / प्रत्यर्थी स्वयं जानती है ऐसी स्थित मे अन्य जगह से आय को स्रोत मानना नितान्त अनुचित है। अवर न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश के इस कथन पर कतई गौर नही किया गया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के पास आय का कोई निजी स्रोत नहीं है। कृषि कार्य एवं मजदूरी से मिलने वाले धन से प्रार्थी/अपीलार्थी के दो बच्चे एवं वृद्ध मां का जीवन यापन किसी प्रकार होता है। अवर न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय इस बात पर कतई ध्यान नही दिया कि परिवादिनी/प्रत्यर्थी शादी के बाद कुछ वर्षों तक रही है। प्रार्थी/अपीलार्थी एवं उसके परिजनों पर तुच्छ अनैतिक एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर मायके चली गई और लाने के प्रयास पर वापस आने को तैयार नही हुई। अवर न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण बात पर कतई विचार नहीं किया कि परिवादिनी के प्रति प्रार्थी / अपीलार्थी के द्वारा घरेलू हिंसा कारित किये जाने का कोई साक्ष्य नही है। घरेलू हिंसा के साक्ष्य के अभाव मे परिवादिनी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने की अधिकारिणी नही है। आलौच्य आदेश के तहत अवर न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी / परिवादिनी के लिए के लिए अभिनिर्धारित अन्तरिम भरण–पोषण धनराशि 7000/–रू० प्रतिमाह अधिक है। आलौच्य आदेश मे अवर न्यायालय ने अन्तरिम भरण–पोषण धनराशि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि से देय होने का आदेश पारित किया है जो कि गलत है, अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थनापत्र के निस्तारण प्रार्थी /अपीलार्थी की ओर से कभी कोई विलम्ब कारित नही किया गया है। ऐसे मे अन्तरिम भरण–पोषण धनराशि आदेश की तिथि 17–12–24 से देह होना विधिसंगत है। अवर न्यायालय द्वारा कथित आलौच्य आदेश कथन तथ्यों पर आधारित न होकर स्वेच्छाधारी है लिहाजा आलौच्य आदेश को न्यायहित मे अपास्त करते हुए समुचित आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतःप्रार्थना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को न्यायहित मे अपास्त करके प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा किये गये उपरोक्त कारणों आधारों पर सम्यक विचार करते हुए समुचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

3. अपीलार्थी ने अपील के साथ न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) एफ०टी०सी०, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 202/2022, अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, थाना सहायल, जिला औरैया, श्रीमती साधना तिवारी बनाम शिवकान्त

तिवारी आदि, अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में दौरान कार्यवाही प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2024 की प्रमाणिक प्रतिलिपि दाखिल की है।

4. उभयपक्षकार के अधिवक्तागण उपस्थित। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. विपक्षी संख्या 01 विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) ने मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकदम सही है उसमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं० 2 श्रीमती साधना तिवारी के द्वारा परिवाद सं० 202/2022, अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,2005 दिनांक 21.02.2022 को अवर न्यायालय में संस्थित किया। दौरान कार्यवाही उक्त परिवाद में एक प्रार्थनापत्र का० स० 12 क अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम में दिनांक 16.03.2023 को प्रस्तुत किया। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 23 के निस्तारण में आलौच्य आदेश दिनांकित 17.12.2024 पारित किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 23 के प्रार्थनापत्र पर आलौच्य आदेश पारित करते समय पत्रावली पर अपीलार्थी/विपक्षी तथा विपक्षी सं० 2/प्रार्थी की ओर से आपत्ति, प्रतिआपत्ति, शपथपत्र दोनों ओर से अपने आय के संसाधन तथा दायित्वों के संबध में शपथपत्र भी पत्रावली पर आ चुके थे।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह मुख्य तर्क दिया गया है कि धारा 23 के प्रार्थनापत्र पर आलौच्य आदेश पारित करते समय विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के द्वारा मूल परिवाद में न्यायालय के समक्ष रखे गये सभी तथ्यों व आपत्तियों को संज्ञान में न लेते हुये धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के आवश्यक तत्वों की पूर्ति न होते हुये भी आलौच्य आदेश को पारित किया गया है।

8. अवधारणीय प्रश्न यह है कि **क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में मूल पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये तथा धारा 23 के आवश्यक तथ्यों की पूर्ति करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया गया है?**

9. अपीलकर्ता के द्वारा अपनी अपील मेमोरेन्डम में अवर न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांकित 17.12.2024 के विरूद्ध मुख्यता संक्षेप में निम्नलिखित आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं–

1–परिवादिनी के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, इसके बावजूद अवर न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया है।

2–अपीलार्थी कृषि व मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी नौकरी भी छूट गयी है और अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है। इस तथ्य का भी संज्ञान अवर न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है।

3–अपीलार्थी के द्वारा कोई घरेलू हिंसा करने का साक्ष्य भी नहीं है।

4–आलौच्य आदेश में अभिनिर्धारित अतंरिम भरण पोषण धनराशि 7,000/– रूपये प्रतिमाह अधिक है तथा धनराशि आवेदन की तिथि से न होकर आदेश की तिथि से होना चाहिए था।

10. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश प्रत्यर्थी/परिवादिनी के प्रार्थनापत्र धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थनापत्र 12क पर दिनांकित 17.12.2024 पारित करते हुये यह आदेश पारित किया गया है कि **"व्यथित व्यक्ति का अन्तरिम भरण पोषण प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी शिवकान्त तिवारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र योजित करने की तिथि से व्यथित व्यक्ति साधना तिवारी को रूपये 7,000/– प्रतिमाह अन्तरिम भरणपोषण प्रत्येक माह की दस तारीख को अदा करेगा। यदि व्यथित व्यक्ति किसी अन्य वाद में भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर रही है तो इस वाद की अन्तरिम धनराशि उसमें समायोजित की जाएगी।"**

11. अपीलार्थी के द्वारा आलौच्य आदेश पर उपरोक्त बिन्दुओं पर जो आपत्तियां उठायी गयी हैं, उनके संबंध में यह देखना आवश्यक है कि क्या विद्वान अवर न्यायलय द्वारा धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है? जिसके लिए धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है–

धारा 23 अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्तिः– (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो उचित और न्यायोचित हो, पारित कर सकेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या किया है, या यह कि यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह एसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, यथास्थिति, धारा 22 के अधीन व्यथित व्यक्ति के शपथपत्र के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरूद्ध पकपक्षीय आदेश दे सकेगा।

12. अपीलार्थी की प्रथम आपत्ति यह है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा मूलवाद में प्रस्तुत की गयी आपत्ति व कथनों का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष देने से पूर्व उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये कथनों, आपत्तियों का विस्तृत रूप से वर्णन आलौच्य आदेश में किया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

13. बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया है कि आलौच्य आदेश पारित करते समय परिवादिनी के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु, फिर भी परिवादिनी/प्रत्यर्थी के पक्ष में आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के इस तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 12क अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है और धारा 23 में पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है जो अवर न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह कार्यवाही में, ऐसा अंतरिम आदेश, जो वह उचित व न्यायोचित समझता है, प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का समाधान हो जाने पर पारित कर सकता है। चूंकि, यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है और अवर न्यायालय द्वारा अपना प्रथम दृष्टया समाधान हो जाने के पश्चात पारित किया है और अभी अंतिम आदेश पारित होना शेष है। ऐसे में साक्ष्य उपलब्ध होना या न होना तथा दोनों ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना, के प्रश्न को अभी अवर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। अतः अपीलार्थी की इस आपत्ति में भी यह न्यायालय कोई बल नहीं पाता है।

14. अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसके पास आय का जो भी स्रोत है वह कृषि व मजदूरी कार्य से है तथा उसके और भी उत्तरदायित्व परिवार के प्रति हैं और वह प्रत्यर्थी/परिवादिनी को भरण पोषण देने में असमर्थ है। इस तथ्य का भी कोई संज्ञान अवर न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है।

15. अपीलार्थी के इस तर्क का समाधान पूर्व में ही विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Rajnesh versus Neha And Others Criminal appeal no. 730 of 2020 (arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018), में प्रतिपादित सिद्वांत कि "The plea of the husband that he does not possess any source of income does not absolve him of his moral duty to maintain his wife if he is able bodied and has educational qualification... The test for determination of maintenance in matrimonial disputes depends on the financial status of the respondent and the

standard of the living that the applicant was accustomed to in her matrimonial home के द्वारा कर दिया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी के किसी भी प्रकार से अक्षम होने के बावजूद भी उसका दायित्व परिवादिनी/प्रत्यर्थी को भरण पोषण का है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है।

16. अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आलौच्य आदेश में पारित भरण पोषण का आदेश आवेदन की तिथि से न होकर आदेश की तिथि 17.12.2024 से होना चाहिए था। ऐसा न कर अवर न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है। **अ**पीलार्थी के इस तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय भरण पोषण की राशि का भुगतान प्रार्थना प्रस्तुत करने की तिथि से जारी कर सकता है और आदेश की तिथि से भुगतान किया जाना न्यायालय की विवेकाधिकारी शक्तियों के अधीन है। प्रस्तुत मामले में अंतरिम भरण पोषण का आदेश आवेदन की तिथि से किये जाने में कोई त्रुटि अवर न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अतः इस तर्क में भी कोई बल नहीं है।

17. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में अपील में उठायी गयी आपत्तियों में कोई बल नहीं है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–12–2024 को पारित करने में कोई त्रुटि, अवैधानिकता तथा अनियमितता दर्शित नहीं होती है तथा उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–12–2024 पुष्ट किये जाने योग्य है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 42/2025 शिवकान्त तिवारी बनाम साधना तिवारी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 42/2025 शिवकान्त तिवारी बनाम साधना तिवारी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–12–2024 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रमाणित करते हुए विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में रखी जाए तथा अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापिस प्रेषित की जाए। अपील न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–29.07.2026

(कैलाश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, औरैया।
JO Code–1684